सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

25 नवम्बर, 2016

टर्नः 01/कृष्ण/25.11.2026

षोडश विधान सभा **25 नवम्बर,2016 ई०**

------------- **शुक्रवार, तिथि** ----------------------

चतुर्थ सत्र **04 अग्रहायण, 1938 (शक)**

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

प्रारंभिक सम्बोधन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र के शुभारंभ पर मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं ।

वर्तमान सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें निर्धारित हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के व्यवस्थापन के अलावा राजकीय विधेयक एवं गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के विस्तार एवं विकास के साथ विधायी निकायों का दायित्व काफी बढ़ गया है, जिसमें जनता की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु हम सबों को अधिक संवेदनशील बनकर सदन में विचारों का आदान-प्रदान करना होगा । सदन के संचालन की सफलता सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों की सकारात्मक एवं रचनात्मक भूमिका पर निर्भर करता है ।

मुझे आशा एवं विश्वास है कि सदन के सफल कार्य-संचालन में आप सबों का सहयोग प्राप्त होगा ।

अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-12 (1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं :-

1. श्री नरेन्द्र नारायण यादव : स0वि0स0

2. श्री मोहम्मद इलियास हुसैन	:	स0वि0स0
3. श्री राम नारायण मंडल	:	स0वि0स0
4. डा0अशोक कुमार	:	स0वि0स0
5. श्रीमती लेशी सिंह	:	स0वि0स0

समितियों का गठन

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-219 (1) के अधीन मैं षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं :-

1. अध्यक्ष,	बिहार विधान सभा	सभापति,
2. श्री नीतीश कुमार,	मुख्यमंत्री	सदस्य,
3. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,	उप मुख्यमंत्री	सदस्य,
4. श्री श्रवण कुमार,	मंत्री,संसदीय कार्य	सदस्य,
5. श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,	मंत्री,वित्त	सदस्य,
6. श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,	मंत्री,ऊर्जा	सदस्य,
7. श्री प्रेम कुमार,	नेता,विरोधी दल	सदस्य,
8. श्री सदानन्द सिंह	स0वि0स0	सदस्य,

विशेष आमंत्रत सदस्य

1. श्री अरूण कुमार सिन्हा	स0वि0स0
2. श्री महबूब आलम	स0वि0स0
3. श्री ललन पासवान	स0वि0स0
4. श्री राज कुमार साह	स0वि0स0

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

षोडश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित "बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक,2016" पर बिहार के महामहिम राज्यपाल से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है :-

संदेश

" I have carefully perused and considered the proposed "Bihar Lokayukta (Amendment)Bill,2016."

Section 5 of the Bihar Lokayukta Act,2011 reads as follow :-

" Term of office of Chairperson and Member--The Chairperson and every other Member shall,on the recommendations of the Selection Committee, be appointed by the Governor by warrant under his hand and seal and hold office as such for a term not exceeding five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier."

The following amendment has now been proposed in 2006 under Secsion 5 of the Bihar Lokayukta Act,2011 (Bihar Act 22, 2011), to be inserted prior to the Proviso Clause in the following manner :-

“अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के अध्यधीन,अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत भी, अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक अपने पद पर बने रह सकेंगे ।”

In the proposed Amendment Bill no time frame has been stipulated, within which the process of selection of successor of the office is to be completed.

The preamble of the Act envisages a mechanism provided for establishment of the Lokayukta which could enquire into allegations of corruption leveled against public servants of all grades and also includes the investigation and prosecution of Ministers and all other position holders. Thus the selection process for selecting the Lokayukta and its Members cannot be allowed to continue for indefinite period as it would provide an opening for seepage of distrust and would also give an opportunity to people at large to raise a shadow of doubt over the efficacy and authority of the institution of Lokayukta as an independent body to conduct such inquires relating to corruption and misuse of official position by persons sitting in higher position.

Therefore, it would be incumbent to follow the Principle of Reasonableness and if be needed have a proviso which stipulate a reasonable time frame work for the selection and appointment of successor of the office because keeping this open ended would create chaos in the constitutional frame work.

Therefore, the porposed " Bihar Lokayukta (Amendment) Bill, 2016" be returned with a request that the both houses of the legislature will re-consider the aforesaid Bill as suggested above."

सभा सचिव ।

राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों के विवरण का पटल पर रखा जाना

सभा सचिव : महोदय,षोडश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित कुल 14 विधेयकों में से 05 (पांच) विधेयकों की अनुमति विवरणी तृतीय सत्र में ही सदन पटल पर रखी जा चुकी है । शेष 09 (नौ) में से 01 (एक) विधेयक, बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 को महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23.08.2016 को दोनों सदनों के पुनर्विचार हेतु वापस किया गया है । इसके साथ निम्न 08 (आठ) विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूं जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत् अनुमति प्रदान की गयी है और इसकी सूचना षोडश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त हुई है :-

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

कमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक,2016	14.08.2016
2.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन)विधेयक,2016	14.08.2016
3.	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक,2016	26.08.2016
4.	बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन)विधेयक,2016	01.09.2016
5.	बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक,2016	01.09.2016
6.	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक,2016	01.09.2016
7.	बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक,2016	01.09.2016
8.	बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक,2016	07.09.2016

शोक प्रकाश

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है :-

स्वर्गीय डॉ0 ए0 आर0 किदवई

बिहार के पूर्व राज्यपाल एवं राज्य सभा के पूर्व सदस्य डॉ0 ए0 आर0 किदवई का निधन दिनांक 24 अगस्त, 2016 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 96 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय किदवई 20 सितम्बर, 1979 से 15 मार्च, 1985 तथा 14 अगस्त, 1993 से 26 अप्रील, 1998 तक बिहार के राज्यपाल थे । वे पश्चिम बंगाल, हरियाणा एवं राजस्थान के राज्यपाल के पद पर भी रहे थे । वे वर्ष 2000 से 2004 तक राज्य सभा के सदस्य थे । उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पद को भी सुशोभित किया था। वे शिक्षाविद् एवं कुशल प्रशासक थे । उनका स्वभाव सरल, मिलनसार था एवं वे एक मृदुभाषी व्यक्ति थे । उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय मो0 शफी कुरैशी

बिहार के पूर्व राज्यपाल एवं भारत सरकार के पूर्व मंत्री मो0 शफी कुरैशी का निधन दिनांक 28 अगस्त, 2016 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 87 वर्ष की थी।

स्वर्गीय कुरैशी 19 मार्च, 1991 से 13 अगस्त, 1993 तक बिहार के राज्यपाल थे । वे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे । उन्होंने भारत सरकार के मंत्री पद को भी सुशोभित किया था । वे एक योग्य एवं कुशल प्रशासक थे । उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सभापति के पद पर रहकर कई उल्लेखनीय कार्य किया था । वे सरल स्वभाव के एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय जवाहर पासवान

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री जवाहर पासवान का निधन दिनांक 29 अगस्त, 2016 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय पासवान रोहतास जिला के चेनारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990 एवं 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उन्होंने बिहार वन विकास निगम के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था । उन्होंने आजीवन शोषितों, पीड़ितों के उत्थान हेतु संघर्ष किया था । वे मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय यदुवंशी राय

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री यदुवंशी राय का निधन दिनांक 12 सितम्बर, 2016 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 63 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय राय सारण जिला के मढ़ौरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 एवं 2000 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए थे तथा वर्ष 1993 में जिला सहकारिता बैंक, छपरा के निदेशक बने । उन्होंने जीवन पर्यन्त गरीबों, उपेक्षितों एवं पिछड़े समाज के उत्थान के लिए संघर्ष किया । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय युवराज

बिहार विधान सभा एवं लोक सभा के पूर्व सदस्य श्री युवराज का निधन दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 97 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय युवराज कटिहार जिला के मनिहारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1962, 1967, 1969, एवं 1972 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे कटिहार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 एवं 1989 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे स्वतंत्रता सेनानी थे तथा उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो

आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था । उन्होंने संत विनोबा भावे के भूदान यज्ञ कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी । उन्होंने शोषितों, पीड़ितों एवं पिछड़ों के विकास के लिए जीवनपर्यन्त संघर्ष किया था । वे स्वभाव से निर्मल एवं वाणी से मृदुल थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय राम इकबाल सिंह वरसी

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राम इकबाल सिंह वरसी का निधन दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 92 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय वरसी आरा जिला के पीरो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था तथा नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के आजाद हिन्द फौज में भी शामिल थे । स्वर्गीय वरसी डॉ0 राम मनोहर लोहिया के सम्पर्क में आये, जिन्होंने उन्हें ''पीरों के गांधी'' की उपाधि दी । उन्होंने लोक नायक जय प्रकाश नारायण के साथ भी काम किया था । उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, दलितों एवं उपेक्षितों की सेवा में व्यतीत किया था । हम उनके निधन से दु:खी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय अमरेन्द्र मिश्र

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री अमरेन्द्र मिश्र का निधन दिनांक 19 नवम्बर, 2016 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी।

स्वर्गीय मिश्र सुपौल जिला के राघोपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972, 1980, 1985 एवं 1990 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री पद को भी सुशोभित किया था । उन्होंने सहरसा नगरपालिका एवं डाक-तार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद के दायित्व का भी निर्वहन किया था । वे कई शिक्षण संस्थानों के संस्थापक रहे थे । उनका चित्त उदार एवं स्वभाव मृदुभाषी था । हम उनके निधन से दु:खी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

पुखरायां ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के प्रति संवेदना

इंदौर से पटना आ रही इंदौर-राजेन्द्र नगर एक्सप्रेस दिनांक 20 नवम्बर, 2017 को कानपुर के पास पुखरायां में दुर्घटनाग्रस्त हो गई । दुर्घटना में 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और दो सौ से अधिक लोग घायल हो गए । इसमें लगभग 40 से अधिक लोग बिहार के भी काल-कवलित हो गए । इस ट्रेन दुर्घटना में लोगों के असामयिक मृत्यु से हम मर्माहत हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं शोक संतप्त परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवारों के पास संवेदना संदेश भिजवा दूंगा ।

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 28-11-16 को 11.00 बजे पूर्वा0 तक के लिए स्थगित की जाती है ।

....